

प्ररूप सं. 10खग

[नियम 17गक देखिए]

आयकर नियम, 1962 के नियम 17गक के उपनियम (12) के अधीन
किसी निर्वाचन न्यास की दशा में लेखा परीक्षा रिपोर्ट

*मैंने/हमने [निर्वाचन न्यास का नाम] के तुलनपत्र की और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की जांच कर ली है तथा प्रमाणित करते हैं तुलनपत्र और आय और व्यय लेखा उक्त निर्वाचन न्यास द्वारा रखी गई लेखा बहियों के अनुसार है।

*मैंने/हमने वह सारी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिया है जो *मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

*मेरी/हमारी राय में ऊपर नामित निर्वाचन न्यास जिसका *मैंने/हमने भ्रमण किया है के मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित लेखा बहियां रखी गई हैं, जैसा कि *मेरी/हमारी लेखा बहियों की जांच से प्रतीत होता है और लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए शाखाओं से जिनका *मैंने/हमने भ्रमण नहीं किया है से पर्याप्त उचित दस्तावेज अभिप्राप्त कर लिए हैं जो हमारी नीचे दी गई टिप्पणियों की शर्त के अधीन है :

*मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और *मुझे/हमें दी गई जानकारी के अनुसार उक्त लेखे सही और न्यायसंगत दृष्टिकोण दर्शाते हैं--

(i) तुलनपत्र की दशा में ऊपर नामित निर्वाचन न्यास के कार्य जो पर दिए गए हैं, और

(ii) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिभार या घाटे के आय और व्यय लेखे की दशा में।

विहित विशिष्टियां इससे उपाबद्ध हैं।

स्थान

तारीख

(ह/-)

लेखाकार का नाम

सदस्य सं./पता

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें।

2. + ये रिपोर्ट निम्नलिखित द्वारा दी जानी है।

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थात्गत किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा; या

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा जो किसी राज्य के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 226 की उपधारा (2) के उपबंधों के कारण उस राज्य में रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के लिए किसी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाने का पात्र है।

3. इस रिपोर्ट में जहां किसी विषय का उत्तर नकारात्मक दिया जाना है या किसी शर्त के साथ दिया जाना है रिपोर्ट में उसके कारणों को अधिकथित किया जाएगा।

प्ररूप सं. 10खग का उपाबंध

I. प्राप्त किए गए और वितरित किए गए अभिदायों के ब्यौरे

(1) पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त किए गए अभिदायों की कुल रकम

.....

(2) पात्र राजनैतिक दलों को वितरित किए गए अभिदायों की कुल रकम

.....

(3) प्रशासनिक या प्रबंधकीय कृत्यों के उपयोग किए गए अभिदायों की रकम

.....

(4) अग्रणीत अधिशेष

.....

(5) वित्तीय वर्ष के लिए वितरणीय अभिदाय

.....

(6) क्या पूर्ववर्ती वर्ष में प्राप्त अभिदायों का पात्र राजनैतिक दलों में वितरण कर दिया गया है।

.....

स्थायी लेखा सं. के साथ राजनैतिक दल का नाम	वितरित की गई रकम	तारीख	ढंग

(7) अग्रणीत अधिशेष

(8) क्या सारे अभिदाय लेखा देय चेक या मांग देय ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं? यदि नहीं, तो उनके ब्यौरे।

व्यक्ति का नाम	स्थायी लेखा सं.	वितरित की गई रकम	तारीख	ढंग

(9) क्या राजनैतिक दलों को किए गए सभी वितरणों की पावतियां प्राप्त कर ली गई हैं?

(10) क्या सभी अभिदायों की सूची रखी गई है?

(11) क्या सभी राजनैतिक दलों की सूची जिन्हें रकम वितरित की है, रखी गई है?

II. नियम 17गक के उपनियम (10) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के फायदे के लिए आय या संपत्ति के उपयोग के लिए आवेदन :-

1. नियम 17गक के उपनियम (10) में निर्दिष्ट व्यक्तियों (जिसे इस उपाबंध में इसके पश्चात् "हितबद्ध व्यक्ति" कहा गया है) के साथ बीस हजार रुपए से अधिक के संव्यवहार के ब्यौरे।

.....

2. क्या किसी हितबद्ध व्यक्ति को वेतन, भत्ता या अन्यथा के माध्यम से पूर्ववर्ती वर्ष में कोई संदाय किया गया है? यदि हां, तो उसके ब्यौरे।

.....

3. क्या न्यास द्वारा प्राप्त किए गए अभिदाय के किसी भाग को पूर्ववर्ती वर्ष में किसी हितबद्ध व्यक्ति को दिया गया या दिया जाना जारी रखा गया? यदि हां, तो रकम, प्रभारित ब्याज की दर और प्रतिभूति की प्रकृति, यदि कोई है, के ब्यौरे।

.....

4. क्या निर्वाचन न्यास की कोई आय या संपत्ति को पूर्ववर्ती वर्ष में किसी हितबद्ध व्यक्ति के पक्ष में परिवर्तित किया गया? यदि हां, तो आय की रकम या परिवर्तित संपत्ति के मूल्य के ब्यौरे के साथ उसका ब्यौरा।

.....

III. निर्वाचन न्यास द्वारा उसके प्रशासन या कार्यों के प्रबंधन के लिए उपगत व्यय से संबंधित सूचना :-

1. क्या निर्वाचन न्यास के प्रशासनिक या प्रबंधन व्यय नियम 17गक के उपनियम (8) के अनुसार हैं?

.....

2. यदि हां, तो क्या अपेक्षित ब्यौरे पर्याप्त रूप से रखे गए हैं?

.....

3. यदि नहीं, तो निर्वाचन न्यास द्वारा कुल प्राप्त अभिदायों की तुलना में उपगत व्यय की क्या प्रतिशतता है?

.....

स्थान

लेखाकार के हस्ताक्षर

तारीख

लेखाकार की सदस्यता सं.